

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

मुख्यदेव सिंह
प्रधान सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर/रॉंची/हजारीबाग
मुख्य अभियंता (यॉ०), जल संसाधन विभाग
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता/संबंधित निकासी एवं एवं व्ययन
पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग झारखंड रॉंची।

रॉंची, दिनांक 21.03.16

विषय :- वित्तीय वर्ष 2015-16 के मांग संख्या- 49 जल संसाधन विभाग, मुख्य शीर्ष-2701- मध्यम सिंचाई उप मुख्य शीर्ष-03-मध्यम सिंचाई-वाणिज्यिक, लघु शीर्ष-001 निदेशन तथा प्रशासन, उप शीर्ष-06-छोटानागपुर एवं संधाल परगना सिंचाई परियोजना मद के अंतर्गत व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2015-16 में बजट मुख्य शीर्ष 2701- मध्यम सिंचाई के अंतर्गत परिशिष्ट-I में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्रमांक	मांग संख्या/मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	आवंटित राशि (लाख ₹ में)
1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या 49 जल संसाधन विभाग/ 2701-मध्यम सिंचाई	03 मध्यम सिंचाई वाणिज्यिक	001-निदेशन तथा प्रशासन/ 06-छोटानागपुर एवं संधाल परगना सिंचाई परियोजना	26.665

कुल आवंटित राशि - रुपये छब्बीस लाख छियासठ हजार पाँच सौ मात्र

- आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2015-16 के संशोधित बजट उपबंध तथा वित्त विभाग के पत्रांक 531 /बजट, दिनांक 04.09.15 तथा 796 /बजट, दिनांक 22.12.15 द्वारा प्रथम एवं द्वितीय अनुपूरक बजट के माध्यम से प्राप्त राशि सहित कुल राशि ₹ 5888.91 लाख (अठावन करोड़ अठासी लाख इक्यानवे हजार मात्र) के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 एवं 1681 दि० 10.06.15 के आलोक में होगा।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- आवंटित राशि से दिनांक 15.11.2000 के पूर्व का बकाया वेतनादि के अनुमान्य राशि का भुगतान उक्त इकाई में आवंटित राशि से किया जायेगा।
- जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष का विस्तृत उल्लेख के साथ मुहर तैयार कर व्यवहार करेंगे ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी तरह की भूलन हो सके।

(श्वेता कुमारी)
सहा. अभि.

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि.)

7. प्रत्येक निकासी एवं व्यय पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जबाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
8. यदि आवंटित गई राशि अपर्याप्त महसूस हो तो राशि के व्यय का पूर्ण औचित्य तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की मांग करेंगे। ध्यान रहे कि जिस कार्यालय से व्यय का पूर्ण औचित्य प्राप्त नहीं होगा अतिरिक्त राशि का आवंटन नहीं किया जायेगा।
9. सेवानिवृत्त कर्मियों को अनुमान्य एकमुश्त स्थानान्तरण अनुदान और पैकिंग भत्ता, वित्त विभाग का पत्रांक-170 दिनांक-01.04.2014 से प्राप्त निदेश के अनुरूप की जायगी।
10. वित्त विभाग के पत्रांक-29/बी०टी०ई०-18/2014-15/300 दिनांक-30.03.2015 के आलोक में 15.11.2000 के बाद के बकाया वेतन एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान वेतन मद में उपबंधित राशि से किया जायेगा।
11. मकान किराया भत्ता मद में आवंटित राशि का भुगतान नियमानुसार सक्षम स्तर से किराया निर्धारण तथा अन्य संबंधित आवश्यक अभिलेखों की उपलब्धता के उपरांत ही अनुमान्य राशि तक सीमित कर किया जाएगा।
12. यदि किसी इकाई में आवंटित राशि (वेतन छोड़ कर) का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरिक्त राशि का तुरंत प्रत्यार्पण कर दिया जाय।
13. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
14. प्रत्येक निकासी एवं व्यय पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
15. देशीय यात्रा व्यय मद में उपलब्ध कराये गये आवंटन से लंबित स्थानान्तरण यात्राभत्ता का भुगतान प्रथमतः सेवानिवृत्त कर्मियों को सेवानिवृत्ति की तिथि को आधार मानते हुए कालानुक्रमिकानुसार किया जाय। तत्पश्चात् अन्य स्थानान्तरण यात्राभत्ता का भुगतान कालानुक्रमिकानुसार (chronological order) किया जाय।
16. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 25 मार्च 2016 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जलसंसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।
अनु. :- यथोक्त

(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :-

राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड पो. - हिनू, राँची/कोषागार पदाधिकारी, राँची/डोरंडा/मेदिनीनगर/हजारीबाग/देवघर/चाईबासा/गढ़वा/ पलामु/जमशेदपुर/ गिरीडीह सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :-

राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/योजना एवं विकास विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/ अभियंता प्रमुख I एवं II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.), राँची/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग को पाँच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग/ वेब सूचना प्रबंधक/सांख्यिकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

(श्वेता कुमारी)
सहा. अभि.

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि.)

(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

परिशेषः ।

पत्रांक 272 दिनांक 21.03.16 का अनुदानक

1

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष 2015-2016	विराट शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते			विराट शीर्ष-02-यात्रा व्यय										विराट शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय										विराट शीर्ष-04-मोटरगाड़ियां		विराट शीर्ष-07-अन्य व्यय		राशि लाख रुपये में
		वेतन	15.11.2000 के पूर्व का बकाया वेतनादि	एल0टी0सी0	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	किराया,दरूँ, कर	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	वर्दी	विद्युत व्यय	मोटरगाड़ियां मरामति	विधि प्रसार	कुल योग	अभिवृत्त														
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16													
1	मुख्य अभियंता जलसंस्थान विभाग, हजारीबाग	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन	52.780 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	1.000 0.000	0.800 0.030	0.000 0.000	0.650 0.000	0.350 0.050	0.100 0.000	0.000 0.000	1.600 0.400	0.000 0.000	57.280 0.480														
	कुल आवंटन	52.780	0.000	0.000	1.000	0.830	0.000	0.650	0.400	0.100	0.000	0.000	2.000	0.000	57.760														
2	कदवन बौध प्रमंडल ,नगर डैटारी गढ़वा	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन	69.000 17.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.600 0.000	0.450 0.020	0.000 0.000	0.250 0.000	0.050 0.000	0.350 0.000	0.000 0.000	0.800 0.000	0.000 0.000	71.500 17.020														
	अवतन	86.000	0.000	0.000	0.600	0.470	0.000	0.250	0.050	0.350	0.000	0.000	0.800	0.000	88.520														
3	कोनार नहर प्रमंडल, जुमरी	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन	173.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.500 0.400	0.500 0.020	0.000 0.000	0.000 0.000	0.150 0.000	0.575 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.300 0.000	175.025 0.420														
	अवतन	173.000	0.000	0.000	0.900	0.520	0.000	0.000	0.150	0.575	0.000	0.000	0.000	0.300	175.445														
4	कोनार नहर प्रमंडल, बर्नासी	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन	146.000 3.890	0.000 0.000	0.000 0.000	0.600 0.000	0.300 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.050 0.000	0.450 0.000	0.100 0.000	0.000 0.000	0.200 0.000	147.700 3.890														
	अवतन	149.890	0.000	0.000	0.600	0.300	0.000	0.000	0.050	0.450	0.100	0.000	0.000	0.200	151.590														
5	गुण नियंत्रण प्रमंडल, भेदिनीनगर	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन	105.710 0.000	0.000 0.000	0.300 0.100	0.600 0.000	0.350 0.020	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.275	0.200 0.200	0.500 0.000	0.100 0.000	107.760 0.395														
	अवतन	105.710	0.000	0.400	0.600	0.370	0.000	0.000	0.000	0.275	0.200	0.200	0.500	0.100	108.155														
6	गुण नियंत्रण प्रमंडल, हजारीबाग	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन	25.640 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.600 0.000	0.450 0.020	0.000 0.000	0.300 0.000	0.100 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.950 0.300	0.250 0.000	28.290 0.320														
	अवतन	25.640	0.000	0.000	0.600	0.470	0.000	0.300	0.100	0.000	0.000	0.000	1.250	0.250	28.610														
7	जलपथ प्रमंडल, चाईबासा	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन	235.040 3.620	0.000 0.000	0.000 0.000	0.800 0.000	0.550 0.030	0.000 0.000	0.000 0.000	0.150 0.050	0.950 0.000	0.500 0.000	0.000 0.000	1.350 0.500	239.340 4.200														
	अवतन	238.660	0.000	0.000	0.800	0.580	0.000	0.000	0.200	0.950	0.500	0.000	0.000	1.850	243.540														

(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

$$21/3$$

Amador B

